संख्याः 11/2017/ 319/45-वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2017

प्रेषक,

विनीत प्रकाश,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊः दिनांक: 07 अप्रैल, 2017

विषयः-ऊर्जा विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2017-18 में मद संख्या-31 (वेतन) मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-8697/नेडा-ए-लेखा-आयोजनेत्तर बजट अनुमान/2017-18, दिनांक 31 मार्च, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु ऊर्जा विकास अभिकरण, उ0 प्र0 को आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत अभिकरण के कार्मिकों के वेतनादि हेतु मद संख्या-31 में स्वीकृत लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि रू0 34,63,72,000/- (रू0 चैतीस करोड़ तिरेसठ लाख बहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम पांच माह हेतु (अप्रैल-2017 से अगस्त-2017) रू0 14,43,21,000/ (रू0 चैदह करोड़ तैंतालीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित मदों पर व्यय करने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	मद का नाम	धनराशि (रूपये में)
1.	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	रू0 6,71,01,000/-
2.	केन्द्रीय योजना आयोग के निदेशन में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	रू0 7,72,20,000/-
	योग	रू0 14,43,21,000/-

(रूपया चैदह करोड़ तैंतालीस लाख इक्कीस हजार मात्र)

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाय। अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-369एच के अनुसार यथासमय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा से कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करा दी जायेगी।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन/पी.ओ.एल. आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-315/दस-सं.-वि.वि.-2/97, दिनांक 19-03-1997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी 2017 एवं शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च 2017 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-70 में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये स्वीकृत लेखानुदान के अधीन लेखा शीर्षक-''2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-02-सौर-101-सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम-03-विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत-0301-नान कन्वेंशनल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन-31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन) के लिये रू0 6,71,01,000/- तथा 0303- केन्द्रीय योजना आयोग के निदेशन में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में रू0-7,72,20,000/-'' के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस- 2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी 2017 एवं शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस- 2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च 2017 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीत प्रकाश)
अनु सचिव ।

संख्या एवं दिनांकः तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ. प्र., इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(विनीत प्रकाश)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in